# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

**पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया** {आर.ए.एस.}

**प्रकरण संख्या : 71/2019**

1. तुलसा राम पुत्र सरबन उर्फ सरदारा जाति बावरी निवासी 4 एम एस आर अनुपगढ जिला श्री गंगानगर।

**--वादीगण--**

**बनाम**

2. माही राम पुत्र सरबन उर्फ सरदारा जाति बावरी निवासी 4 एम एस आर अनुपगढ जिला श्री गंगानगर।
3. राम चन्द्र पुत्र सरबन उर्फ सरदारा जाति बावरी निवासी 4 एम एस आर अनुपगढ जिला श्री गंगानगर।
4. अनिता पुत्री सरबन उर्फ सरदारा पत्नि प्रधान जाति बावरी निवासी 5 एस टी बी तहसील विजयनगर जिला श्री गंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व एवं उपपंजीयक महोदय, श्रीकरणपुर।

**--प्रतिवादीगण--**

**1. श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता --वादी की ओर से--**

**2. श्री मंगत राम नागपाल , अधिवक्ता --प्रतिवादीगण की ओर से-**

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, आरटीए**

**--निर्णय-- दिनांक : 12.02.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 23 ओ के खाता संख्या 30/20 के मु.न. 102 की कुल 6.199 हैक्टर नहरी भूमि व मु.न. 103 की कुल 0.392 हैक्टर नहरी भूमि दोनो मुरब्बों की कुल 6.591 हैक्टर भूमि में से 1.686 हैक्टर नहरी भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के पिता सरबन उर्फ सरदारा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक भूमि है, जो वादी के पिता को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। उक्त भूमि हमारे हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी भूमि है, जिसमें वादी का हक व हिस्सा जन्म से है राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्थान सरकार राजस्व ( ग्रुप-6) विभाग क्रमांक प. 5(1) राज-6 /97/10 जयपुर दिनांक 08.09.1997 अधिसूचना जारी कर प्रावधान विहित किया गया है कि हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि में जन्म से ही अधिकार हैं,इसलिए वादी उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवा पाने का अधिकारी है एंव दावा ला पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 के पिता के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण मुझ वादी को मेरे हिस्सा से महरूम करना चाहते है और मेरे हिस्से की भूमि को खूर्द बूर्द करना चाहते है। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा किया तो मुझ वादी को ना पूरा होने वाला नूकसान होगा। वादी का भविष्य व जीवन बर्बाद हो जावेगा। यही वाद कारण है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। दावा पूरे न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादी द्वारा दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 23 ओ के खाता संख्या 30/20 के मु.न. 102 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टर नहरी भूमि व मु.न. 103 के किला न. 5 व 6/1 की कुल 0.392 हैक्टर नहरी भूमि दोनो मुरब्बों की कुल 6.591 हैक्टर भूमि में से 1.686 हैक्टर नहरी भूमि में वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के नाम खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

**तुलसा राम बनाम माहीराम आदि**

**वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,91 आरटीए प्रकरण संख्या 71/2019**

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मंगतराम नागपाल उपस्थित आए व जवाब दावा पेश किया जिसमे अतिरिक्त कथन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू पंचायत में आपस में राजीनामा करवा दिया गया है। राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 ने चक 23 ओ के खाता संख्या 30/20 के मु.न. 102 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टर नहरी भूमि तथा मु.न. 103 के किला न. 5 व 6/1 में कुल 0.392 हैक्टर नहरी भूमि दोनो मुरब्बों का कुल 6.591 हैक्टर भूमि में से 1.686 हैक्टर नहरी भूमि में अपना 1/4 हिस्सा यानि 0.421 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपना हिस्सा बहिस्सा बराबर छोड दिया है। यदि प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 3 को कोई एतराज नहीं है। वादी तुलसा राम व प्रतिवादीगण माही राम, रामचन्द्र, अनिता ने न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया दोनो पक्षो की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया दोनों पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया गया। शामिल पत्रावली किया गया।

दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा में अंकित किया है कि दोनो पक्षो के पिता सरवन उर्फ सरदारा राम के नाम चक 23 ओ के खाता सख्या 30/20 में कुल 1.686 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। द्वितीय पक्ष ने अपना 1/4 हिस्सा अर्थात 0.421 हैक्टर भूमि तुलसा राम, माही राम व रामचन्द्र पिसरान सरवन उर्फ सरदारा जाति बावरी निवासीगण गाव 4 एमएसआर तहसील अनुपगढ जिला श्री गंगानगर के नाम छोड दिया है। यदि द्वितीय पक्ष का हिस्सा प्रथम पक्ष के तुलसा राम, माहीराम व रामचन्द्र के नाम दर्ज व डिक्री किए जाने के आदेश दिए जाते है तो द्वितीय पक्ष को कोई उज्र व एतराज नहीं होगा। पक्षकारान के द्वारा चिमनी देवी पत्नि सरदारा राम के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं वारिसनामा की छायाप्रति पेश की।

बहस सुनी गई दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किये जाने पर सहमत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार तुलसा राम, माही राम व रामचन्द्र को चक 23 ओ के खाता संख्या 30/20 के मु.न. 102 के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.199 हैक्टर नहरी भूमि व मु.न. 103 के किला न. 5, 6/1 में कुल 0.392 हैक्टर नहरी भूमि दोनो मुरब्बों की कुल 6.591 हैक्टर भूमि में से 1.686 हैक्टर नहरी भूमि में राजीनामा के मुताबिक 0.562 हैक्ट नहरी भूमि का खातेदार घोषित करने की डिक्री की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं दोनों पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर चक 23 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 30/20 के मु.न. 102 के किला न. 1 ता 25 में कुल 6.199 हैक्टर नहरी भूमि व मु.न. 103 के किला न. 5, 6/1 में कुल 0.392 हैक्टर नहरी भूमि दोनो मुरब्बों की कुल 6.591 हैक्टर भूमि में से सरबन उर्फ सरदारा के नाम दर्ज 1.686 हैक्टर नहरी भूमि में राजीनामा के अनुसार तुलसा राम, माही राम, रामचन्द्र पिसरान सरबन उर्फ सरदारा जाति बावरी निवासी 4 एम.एस.आर. तहसील अनुपगढ को बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक को 0.562 हैक्टर नहरी भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस सम्बन्ध में यदि कोई राजस्व देय है या कोई राजस्व हानि हे तो सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगा। शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.12 17:02:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: